13/10/23 आज जरिये वकील श्री सीताराम हाक द्वारा वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 CPC के प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण का प्रतिवादीगण से आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए वादीगण इस वाद पत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है वादीगण द्वारा अपना पुनः वाद-पत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को प्रत्याहरण (वापिस लेना) किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र पुनः पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। पा०१०।ज।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
चडसाना